Sarcouncil Journal of Arts and Literature

ISSN(Online): 2945-364X

Volume- 05| Issue- 01| 2026

Review Article

Received: 01-12-2025 | Accepted: 25-12-2025 | Published: 09-01-2026

महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु भावी नीतियाँ एवं योजनाएँ: एक समावेशी और न्यायपूर्ण दृष्टिकोण

प्रीति रानी

राजनीति विज्ञान विभाग, देशभक्त यूनिवर्सिटी, मंडी गोबिंदगढ़ पंजाब (भारत)

Abstract: इक्कीसवीं सदी को यदि मानव अधिकारों, तकनीकी प्रगति और लोकतांत्रिक चेतना के युग के रूप में देखा जाए, तो महिलाओं का सशक्तिकरण इस युग की सबसे केंद्रीय और निर्णायक अवधारणा बनकर उभरता है। किसी भी राष्ट्र की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति का वास्तविक आकलन वहाँ की महिलाओं की स्थिति, उनके अधिकारों की सुरक्षा, अवसरों तक समान पहुँच तथा निर्णय-निर्माण प्रक्रियाओं में उनकी भागीदारी के आधार पर किया जाता है। महिलाओं को केवल जनसंख्या का एक वर्ग मानकर नहीं, बल्कि विकास के सक्रिय साझेदार के रूप में देखने की सोच ही किसी समाज को प्रगतिशील और न्यायपूर्ण बनाती है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में महिलाओं की स्थिति ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक कारकों से गहराई से जुड़ी हुई है। स्वतंत्रता के बाद से भारतीय संविधान ने महिलाओं को समानता, स्वतंत्रता और गरिमा का अधिकार प्रदान किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और रोजगार के क्षेत्रों में अनेक सकारात्मक पहलें की गई हैं। इसके बावजूद, महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया अभी भी अधूरी और असमान बनी हुई है। आज भी देश के अनेक हिस्सों में महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, संपत्ति अधिकार, रोजगार और सुरक्षा से वंचित रहना पड़ता है। तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य, डिजिटल क्रांति, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चौथी औद्योगिक क्रांति और वैश्वीकरण के वर्तमान दौर में केवल परंपरागत कल्याणकारी योजनाएँ पर्याप्त नहीं हैं। आवश्यकता ऐसी भावी, अधिकार-आधारित, तकनीक-समर्थ और समावेशी नीतियों की है, जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ उन्हें सामाजिक निर्णयों का केंद्र बनाएँ। यह शोध-पत्र महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु भावी नीतियों और योजनाओं का विश्लेषण प्रस्तुत करता है तथा एक ऐसे न्यायपूर्ण दृष्टिकोण को रेखांकित करता है, जो भारत के सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के अनुरूप हो।

Keywords: महिला, सशक्तिकरण, योजनाएँ, कल्याणकारी योजनाएँ.

INTRODUCTION

महिलाओं के सशक्तिकरण की वर्तमान स्थिति

पिछले कुछ दशकों में भारत में महिलाओं की स्थिति में उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिला है। शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों के नामांकन में वृद्धि हुई है और साक्षरता दर में भी निरंतर सुधार हुआ है। आज महिलाएँ प्रशासन, राजनीति, विज्ञान, तकनीक, खेल, कला और उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण ने स्थानीय शासन में उनकी भागीदारी को सुदृढ़ किया है।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में मातृत्व मृत्यु दर में कमी, संस्थागत प्रसव में वृद्धि और पोषण कार्यक्रमों का विस्तार महिलाओं के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में सहायक सिद्ध हुआ है। प्रधानमंत्री जन-धन योजना, उज्ज्वला योजना, मातृत्व वंदना योजना जैसी पहलों ने वित्तीय समावेशन और स्वास्थ्य सुरक्षा को बढ़ावा दिया है।

इसके बावजूद, महिलाओं के सशक्तिकरण की राह में अनेक गंभीर चुनौतियाँ आज भी विद्यमान हैं। ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में अवसरों की असमान उपलब्धता, आर्थिक निर्भरता, सीमित रोजगार विकल्प, लैंगिक वेतन-अंतर, कार्यस्थल पर भेदभाव, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और साइबर अपराध जैसी समस्याएँ महिला सशक्तिकरण की गति को धीमा करती हैं। इसके अतिरिक्त, डिजिटल संसाधनों तक असमान पहुँच और गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण की कमी महिलाओं को भविष्य की अर्थव्यवस्था में पीछे छोड़ सकती है।

स्पष्ट है कि इन संरचनात्मक समस्याओं का समाधान किए बिना भारत का समग्र, समावेशी और न्यायपूर्ण विकास संभव नहीं है। अतः भावी नीतियों का उद्देश्य केवल संरक्षण नहीं, बल्कि सशक्तिकरण और नेतृत्व होना चाहिए।

भावी नीतियों और योजनाओं के सुझाव

डिजिटल शिक्षा तक समान पहुँच

डिजिटल युग में शिक्षा तक पहुँच सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी माध्यम बन चुकी है। भावी नीतियों में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई भी बालिका डिजिटल संसाधनों के अभाव में शिक्षा से वंचित न रहे।

- सभी बालिकाओं को डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराने हेतु एक राष्ट्रीय स्तर का "डिजिटल द्रौपदी मिशन" प्रारंभ किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत टैबलेट या लैपटॉप प्रदान किए जाएँ।
- ग्रामीण, आदिवासी और दूरस्थ क्षेत्रों में महिला-केन्द्रित डिजिटल लर्निंग सेंटरों की स्थापना की जाए, जहाँ ऑनलाइन शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और डिजिटल कौशल सिखाए जाएँ।

Copyright © 2022 The Author(s): This work is licensed under a Creative Commons Attribution- NonCommercial-NoDerivatives 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) International License

*Corresponding Author: प्रीति रानी

DOI- https://doi.org/10.5281/zenodo.18189117

- इंटरनेट कनेक्टिविटी को एक मूल अधिकार के रूप में देखने की आवश्यकता है, ताकि डिजिटल विभाजन को समाप्त किया जा सके।

कौशल–आधारित एवं भविष्य–उन्मुख शिक्षा

नई शिक्षा नीति–2020 के अनुरूप शिक्षा को रोजगार और कौशल से जोड़ना समय की आवश्यकता है।

- STEM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) विषयों में बालिकाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु विशेष छात्रवृत्तियाँ और प्रोत्साहन योजनाएँ लागू की जाएँ।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड कम्प्यूटिंग, रोबोटिक्स और उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में महिलाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित किए जाएँ।
- तकनीकी संस्थानों और उद्योगों के साथ साझेदारी कर "वर्क–इंटीग्रेटेड लर्निंग" मॉडल अपनाया जाए।

करियर–उन्मुख परामर्श प्रणाली

महिलाओं को सही करियर विकल्प चुनने में मार्गदर्शन की कमी एक बड़ी बाधा है।

- उच्च शिक्षण संस्थानों में महिला करियर एवं कौशल परामर्श प्रकोष्ठ की स्थापना की जाए।
- ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल करियर काउंसलिंग यूनिट्स शुरू की जाएँ, जो स्थानीय स्तर पर मार्गदर्शन प्रदान करें।

आर्थिक सशक्तिकरण हेतु नीतियाँ

महिला उद्यमिता संवर्धन मिशन

आर्थिक स्वतंत्रता महिला सशक्तिकरण की आधारशिला है।

- महिलाओं के लिए शून्य–ब्याज या न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने हेतु एक व्यापक महिला उद्यमिता मिशन प्रारंभ किया जाए।
- स्टार्ट–अप क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु "महिला स्टार्ट–अप फंड" की स्थापना की जाए।
- महिला उद्यमियों को विपणन, ब्रांडिंग और ई–कॉमर्स से जोड़ने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किए जाएँ।

घरेलू एवं असंगठित क्षेत्र की महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा

देश की अधिकांश महिलाएँ असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं।

- घरेलू कामगार महिलाओं को EPFO, ESI और पेंशन योजनाओं से जोड़ा जाए।
- असंगठित क्षेत्र में न्यूनतम वेतन, बीमा और मातृत्व लाभ को कानूनी रूप से अनिवार्य बनाया जाए।
- स्वयं–सहायता समूहों को वित्तीय और तकनीकी सहायता देकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाए।

कृषि क्षेत्र की महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान

भारत की कृषि अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

- महिला किसान क्रेडिट कार्ड की प्रक्रिया को सरल और डिजिटल बनाया जाए।
- कृषि–प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में महिलाओं को प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता प्रदान की जाए।
- भूमि अधिकारों में महिलाओं की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए कानूनी सुधार किए जाएँ।

स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी भावी नीतियाँ

महिला–केन्द्रित प्राथमिक स्वास्थ्य मॉडल

स्वस्थ महिला ही सशक्त समाज की नींव होती है।

- गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए डिजिटल हेल्थ ट्रैकिंग प्रणाली विकसित की जाए।
- किशोरियों के लिए मोबाइल हेल्थ वैन के माध्यम से पोषण, टीकाकरण और परामर्श सेवाएँ प्रदान की जाएँ।

मासिक धर्म स्वच्छता पर राष्ट्रीय कार्यक्रम

मासिक धर्म से जुड़ी सामाजिक वर्जनाएँ आज भी महिलाओं के स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं।

- पर्यावरण–अनुकूल और सुलभ सैनिटरी उत्पादों के लिए सामुदायिक उत्पादन इकाइयों की स्थापना की जाए।
- विद्यालयों और समुदायों में जागरूकता अभियान चलाए जाएँ।

मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार

- शिक्षण संस्थानों और कार्यस्थलों पर महिला मानसिक स्वास्थ्य हब स्थापित किए जाएँ।
- तनाव, अवसाद और घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए निःशुल्क परामर्श सेवाएँ उपलब्ध कराई जाएँ।

सुरक्षा और कानून संबंधी नीतियाँ

साइबर सुरक्षा एवं डिजिटल साक्षरता

डिजिटल युग में साइबर अपराध महिलाओं के लिए एक नई चुनौती बनकर उभरे हैं।

- स्कूल–कॉलेज पाठ्यक्रम में साइबर सुरक्षा को अनिवार्य विषय बनाया जाए।
- महिलाओं के लिए 24×7 *Cyber Safe Women Helpline* स्थापित की जाए।

Copyright © 2022 The Author(s): This work is licensed under a Creative Commons Attribution- NonCommercial-NoDerivatives 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) International License

Publisher: SARC Publisher

त्वरित और संवेदनशील न्याय प्रणाली

- महिला–विषयक अपराधों के लिए विशेष फास्ट–ट्रैक डिजिटल न्यायालय स्थापित किए जाएँ।
- पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी 40% तक बढ़ाने की नीति अपनाई जाए।

सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन

- सार्वजनिक परिवहन में GPS–आधारित सुरक्षा प्रणाली और सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य किए जाएँ।
- शहरी और अर्ध–शहरी क्षेत्रों में महिला सुरक्षा प्वाइंट स्थापित किए जाएँ।

राजनीतिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण

स्थानीय शासन में महिला नेतृत्व का विकास

- महिला जनप्रतिनिधियों के लिए नेतृत्व और प्रशासनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ।
- पंचायत स्तर पर महिला विकास निधि का गठन किया जाए।

लैंगिक समानता आधारित शिक्षा

- विद्यालय स्तर पर लैंगिक संवेदनशीलता और समानता को अनिवार्य विषय बनाया जाए।

मीडिया में सकारात्मक प्रतिनिधित्व

- महिलाओं की उपलब्धियों को प्रोत्साहित करने हेतु राष्ट्रीय मीडिया पुरस्कार और डिजिटल अभियान चलाए जाएँ।

भावी योजनाओं का क्रियान्वयन मॉडल

भावी नीतियों की सफलता उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करती है।

1. **केंद्र–राज्य समन्वय तंत्र**: सभी योजनाओं के लिए एकीकृत डिजिटल पोर्टल।
2. **सामुदायिक भागीदारी**: स्वयं–सहायता समूह, NGOs और स्थानीय निकायों की सक्रिय भूमिका।
3. **डेटा–आधारित मूल्यांकन**: Gender Development Index के माध्यम से योजनाओं का आकलन।
4. **सार्वजनिक–निजी भागीदारी (PPP मॉडल)**: कौशल विकास और उद्यमिता में सहयोग।

निष्कर्ष

महिलाओं का सशक्तिकरण केवल सामाजिक न्याय का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह भारत की आर्थिक वृद्धि, लोकतांत्रिक स्थिरता और मानव विकास का मूल आधार है। भावी नीतियों और योजनाओं को शिक्षा, तकनीक, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा जैसे बहुआयामी आयामों को ध्यान में रखते हुए समग्र दृष्टिकोण से तैयार करना होगा। यदि इन नीतियों का प्रभावी, पारदर्शी और सहभागी ढंग से क्रियान्वयन किया जाए, तो भारत एक ऐसी समावेशी सामाजिक संरचना का निर्माण कर सकेगा, जिसमें महिलाएँ न केवल सुरक्षित और सम्मानित होंगी, बल्कि राष्ट्र–निर्माण की अग्रणी भागीदार के रूप में उभरेंगी।

संदर्भ

1. नीति आयोग — जेंडर इंडेक्स रिपोर्ट
2. UNESCO, UN Women — वैश्विक जेंडर रिपोर्टें
3. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार। *वार्षिक रिपोर्ट* (विभिन्न वर्ष)। नई दिल्ली: प्रकाशन विभाग।
4. नीति आयोग। *इंडिया जेंडर इंडेक्स रिपोर्ट* (2022 तथा नवीन संस्करण)। नई दिल्ली: नीति आयोग प्रकाशन।
5. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5)। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। नई दिल्ली।
6. संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन (UN Women)। *वैश्विक लैंगिक समानता रिपोर्ट* (विभिन्न वर्ष)। न्यूयॉर्क: संयुक्त राष्ट्र प्रकाशन।
7. यूनेस्को (UNESCO)। *शिक्षा और जेंडर समानता रिपोर्ट* (2021 तथा अन्य संस्करण)। पेरिस: यूनेस्को प्रकाशन।
8. विश्व बैंक। *महिला आर्थिक सशक्तिकरण पर वैश्विक रिपोर्ट* (2020)। वॉशिंगटन डी.सी.: विश्व बैंक।
9. भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)। *वित्तीय समावेशन पर वार्षिक रिपोर्ट* (विभिन्न वर्ष)। मुंबई: RBI प्रकाशन।
10. मिश्रा, रमेश। *भारत में महिलाओं के अधिकार और सामाजिक परिवर्तन* (तीसरा संस्करण)। नई दिल्ली: राजकमल प्रकाशन।
11. शर्मा, कुसुम। *भारतीय समाज में महिला सशक्तिकरण: चुनौतियाँ और संभावनाएँ।* जयपुर: साहित्य भवन, 2019।
12. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार — वार्षिक रिपोर्टें
13. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS)
14. कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। *राष्ट्रीय कौशल विकास रिपोर्ट* (NSDC)। नई दिल्ली: कौशल मंत्रालय।
15. महिला सुरक्षा एवं न्याय विभाग। *महिला सुरक्षा पर राष्ट्रीय नीति मसौदा* (2023)। भारत सरकार।
16. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)। *महिला श्रम शक्ति सहभागिता और वेतन अंतर रिपोर्ट* (विभिन्न वर्ष)। जिनेवा: ILO प्रकाशन।

Copyright © 2022 The Author(s): This work is licensed under a Creative Commons Attribution- NonCommercial-NoDerivatives 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) International License

Publisher: SARC Publisher

17. पांडे, अर्चना। *महिला अधिकार और भारतीय संविधान*। नई दिल्ली: भारतीय विधि प्रकाशन, 2018।
18. भारत सरकार। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति* (NEP-2020)। नई दिल्ली: शिक्षा मंत्रालय।
19. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB)। *अपराध रिपोर्ट* (विभिन्न वर्ष)। नई दिल्ली: गृह मंत्रालय।

Source of support: Nil; **Conflict of interest:** Nil.

Cite this article as:
प्रीति रानी, "महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु भावी नीतियाँ एवं योजनाएँ: एक समावेशी और न्यायपूर्ण दृष्टिकोण." *Sarcouncil Journal of Arts and Literature* 5.1 (2026): pp 22-25.

Copyright © 2022 The Author(s): This work is licensed under a Creative Commons Attribution- NonCommercial-NoDerivatives 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) International License

Publisher: SARC Publisher